दिनांक 24.04.2015 को कृषि विभाग, विकास भवन के सभा कक्ष में माननीय मंत्री, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– पंजी में संधारित।

1. प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।
2. उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी), बिहार द्वारा सूचित किया गया कि विगत दिनों बिहार में हुई असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि/चक्रवात से हुई फसल क्षति का जिला पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मेमोरेन्डम तैयार कर आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराया दिया गया है। कृषि विभाग को प्राप्त राशि जिलों को आवंटित किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि राशि को सुचारू रूप से वितरित कराया जाय। जिस गाँव/पंचायत/प्रखंड में ओलावृष्टि हुई है या सबसे अधिक फसल क्षति हुई है उसी गाँव/पंचायत/प्रखंड को जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर राशि आवंटित कराया जाय। कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि प्रभावित कृषकों को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अथवा एकाउण्ट पेयी चेक के द्वारा ही राशि का भुगतान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं करना है। आर0टी0जी0एस0 हेतु निम्न चार शर्तो का पालन करने का निदेश दिया गया :–

   i. कृषकों का नाम बैंक खाता के अनुसार
   ii. बैंक एवं शाखा का नाम
   iii. बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड नं0
   iv. कृषक का बैंक खाता सं0–

   - कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि लाभान्वित कृषकों की सूची सॉफ्ट कॉपी में/पी0डी0एफ0 में/वर्ड/एक्सेल में तथा हार्ड कॉपी हस्ताक्षर कर बैंकों को भेजें। यह देख लें कि सभी लाभान्वितों को बैंक में खाता है या नहीं। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन लाभान्वित कृषकों का बैंक में खाता नहीं है वे अपना खाता खुलवालें।

   जो भी राशि वितरित होती है उसके लाभान्वितों की पंचायतवार/प्रखंडवार/जिलावार सूची विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने का निदेश दिया गया।

3. **खरीफ अभियान** :– सूचित किया गया कि खरीफ, 2015 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बी0जी0आर0आई0, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। इस वर्ष राज्य में श्री विधि से धान प्रत्यक्षण हेतु 1,75,000 एकड़, पैडी ट्रान्सप्लान्टर से धान प्रत्यक्षण हेतु 79,626 एकड़, जीरोटिलेज से धान की सीधी बोआई का प्रत्यक्षण हेतु 46245 एकड़ तथा एरोमेटिक धान प्रत्यक्षण (रा0कृ0वि0यो0) हेतु 3200 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है।

   इसके अतिरिक्त राज्य में अरहर के साथ मूंग/उड़द का अन्तर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण हेतु 5900 एकड़, मक्का के साथ मूंग/उड़द का अन्तर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण हेतु 17901 एकड़ एवं संकर मक्का प्रत्यक्षण (रा0खा0सु0मि0) हेतु 20833 एकड़ का लक्ष्य प्रस्तावित है। मक्का प्रत्यक्षण हेतु वैसे क्षेत्र का चुनाव करने का निदेश दिया गया जहाँ मक्का की खेती नहीं होती है। उन क्षेत्रों में मक्का की खेती को प्रोत्साहित करने का निदेश दिया गया। कुछ जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा अन्तर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण में अरहर के साथ मक्का को लेने का सुझाव दिया गया।

गत वर्ष फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम को लागू करने में आई समस्याओं को ध्यान में रखते इस वर्ष इसके सफल कार्यान्वयन हेतु माननीय मंत्री, कृषि द्वारा निम्न निदेश दिये गये :– (क) फस प्रत्यक्षण के लक्ष्य को कम किया जाय। (ख) प्रत्यक्षण कीट में लाभान्वित कृषकों को सही गुणवत्ता का एव पूर्ण मात्रा में उपादान उपलब्ध कराया जाय। (ग) प्रत्यक्षण तकनीक का कृषकों को विश्वविद्यालय/किसान विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों एवं कृषि पदाधिकारियों के माध्यम से प्रत्यक्षण प्लॉट पर प्रशिक्षण दिया जाय तथा प्रत्येक प्रत्यक्षण मॉडल के तकनीक एवं उसके कार्यान्वयन की विधि का ब्रॉसर/पर्चा छपवाकर कृषकों के बीच वितरित किया जाय। (घ) प्रत्यक्षण प्लॉट का फसल जॉच कटनी की तिथि पूर्व में प्रचारित किया जाय एवं जनप्रतिनिधियों एवं गॉव के सभी कृषकों के सामने फसल जॉच कटनी कराई जाय एवं इसके ऑकड़ों का प्रचार–प्रसार किया जाय तथा इसे रिकार्ड में संधारित किया जाय।

- कृषि वैज्ञानिकों के साथ बैठक कर वर्ष 2015–16 में संचालित होने वाले प्रत्येक प्रत्यक्षण मॉडल के उपादान की मात्रा एवं अनुदान की राशि का निर्धारण करने का निदेश दिया गया।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रत्यक्षण मॉडल को बिहार में कार्यान्वित करने में आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए इसे संशोधित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध करने का निदेश दिया गया।
- गॉववार/पंचायतवार/प्रखंडवार सभी कृषकों का एक यूनिक नं0 के साथ निबंधन करने एवं डाटा बेस तैयार करने तथा लाभान्वित कृषकों की सूची तैयार कर ऑन लाईन कराने का निदेश दिया गया।

4. हरी खाद योजना :–

i. सूचित किया गया कि इस योजना अंतर्गत मूंग बीज का लक्ष्य 36160 क्वीं0 के विरूद्ध शत–प्रतिशत एवं ढैंचा बीज का लक्ष्य 97120 क्वीं0 के विरूद्ध 27610 क्वीं0 की आपूर्ति जिलों में हो गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरी खाद तैयार करना है। इस योजना को सफल बनाने हेतु निदेश दिया गया कि मूंग एवं ढैंचा को मिट्टी में पलटने एवं सिंचाई के समय जिला कृषि पदाधिकारी एवं अन्य कृषि पदाधिकारी कृषकों के खेत में उपस्थित रहेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषक सही से इसका उपयोग कर रहे हैं।

ii. निदेश दिया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी 10 प्रतिशत, प्रखंड कृषि पदाधिकारी 30 प्रतिशत, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार 100 प्रतिशत, मुंग एवं ढैंचा के खेतों का निरीक्षण करेंगे एवं फसल पलटने के समय का फोटोग्राफ लेकर संधारित करेंगे। सभी संयुक्त कृषि निदेशक एवं जिला कृषि पदाधिकारी को इस योजना का सही से अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। (अनु– सभी सं0कृ0निदे0 एवं जिला कृषि पदाधिकारी)

iii. सूचित किया गया कि बीज विश्लेषण प्रयोगशाला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गोपालगंज एवं जमुई जिला से मूंग बीज का एक भी नमूना जॉच हेतु नहीं लिया गया है। दोनों जिला कृषि पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। (अनु0– उप निदेशक, शष्य, बीज)

iv. जिन जिलों में अभी तक कृषकों के बीच मूंग बीज वितरण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। वहॉ 30 अप्रैल तक शत–प्रतिशत मूंग बीज का वितरण करने का निदेश दिया गया। (अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

v. सभी योजनाओं अन्तर्गत ससमय लक्ष्य के अनुसार बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जिलों एवं प्रखंडों में निर्धारित समय पर बीज पहुँचने एवं कृषकों के बीच वितरित करने हेतु आवश्यक पहल करने एवं कैलेन्डर तैयार करने का निदेश दिया गया। (अनु0– उप निदेशक, शष्य, बीज)

vi. सूचित किया गया कि अभी तक राइजोबियम कलचर का कुल 102 नमूना लिया गया है। जिसमें से 10 नमूना का विश्लेषण हुआ है एवं 9 नमूना अमानक पाया गया है। बिहार राज्य बीज निगम के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि राज्य में दो आपूर्तिकर्ता द्वारा राइजोबियम कलचर आपूर्ति किया जा रहा है। आपूर्ति के पूर्व नमूना नहीं लिया गया था। इस पर खेद प्रकट किया गया है। जिन जिलों में राईजोबियम कल्चर का नमूना नहीं लिया गया है उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। भविष्य में राइजोबियम कल्चर लिया जाये या नहीं इस पर निर्णय लेने हेतु माननीय मंत्री, कृषि ने कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार को निदेश दिया। (अनु0–उप निदेशक, शष्य, बीज)

vii. सूचित किया गया कि अभी तक 28 जिलों में ढैंचा बीज पहुँच गया है। 10 जिलों में अभी तक नहीं पहुँचा है, जिसमें से 9 जिलों में एन0एस0सी0 द्वारा एवं 1 जिला में नाकॉफ कम्पनी द्वारा बीज उपलब्ध कराना है। जिलों में बीज आपूर्ति करने का अन्तिम तिथि 25 अप्रैल निर्धारित था। इसे बढ़ाकर सभी कम्पनियों के लिए 10 मई तक करने का निदेश दिया गया। (अनु0–उप निदेशक, शष्य, बीज)

viii. सभी संयुक्त कृषि निदेशक एवं जिला कृषि पदाधिकारी को अगले पॉच–छः माह में अपने प्रदर्शन स्तर को बढ़ाने तथा कृषकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले कार्यो का पारदर्शिता के साथ ससमय निष्पादित करने एवं निर्धारित लक्ष्य की शत–प्रतिशत उपलब्धि अचूक रूप से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

ix. रब्बी 2014–15 में गेहॅ की खेती में आ रही समस्याओं पर प्रतिवेदन की मांग सभी जिला कृषि पदाधिकारियों से की गयी थी। अभी तक जिला कृषि पदाधिकारी शेखपुरा, पूर्वी चम्पारण, बेगुसराय, रोहतास, मुंगेर, भागलपुर, नालन्दा, सुपौल एवं गोपालगंज से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। शेष जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

x. सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल योजना और मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना का निकासी एवं व्यय का प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र कैमूल जिला से अप्राप्त है। जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर को निर्देश दिया गया कि जाने के साथ ही प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. **बीज सत्यापन :–**

राज्य योजनान्तर्गत अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण में खरीफ 2014 का धान बीज का सत्यापन बांका जिला में बी0आर0बी0एन0 का तथा रब्बी 2014–15 में गेहूँ बीज का बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, बांका, जमुई, शेखपुरा, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, बेगुसराय, खगड़िया, किशनगंज एवं कटिहार में लंबित है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर आवंटन जिला को देने की योजना तैयार की

जानी है, इसलिए दिनांक 27.04.2015 तक निश्चित रूप से सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध क सुनिश्चित किया जाय। (अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

6. **जैविक खेती प्रोत्साहन योजना :–**

i. निदेश दिया गया कि इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में निकासी की गई राशि जो उपयोग नहीं हुआ है एवं जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे सरकारी खजाने में अविलम्ब जमा कर दिया जाय। साथ ही वित्तीय वर्ष 2014–15 में निकासी की गयी राशि को योजना पूर्ण एवं चालू रखकर तथा शिविर लगाकर 15 मई 2015 तक भुगतान करने का निदेश दिया गया।

ii. वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक इस योजना अंतर्गत आवंटित राशि, निकासी की गयी राशि, प्रत्यार्पित राशि, भुगतान की गयी राशि एवं अवशेष राशि से संबंधित प्रतिवेदन अभी भी जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर, जहानाबाद, सीवान, पं0 चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, बेगुसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गोपालगंज, मूंगेर, जमुई, मधुपरा एवं किशनगंज से अप्राप्त है। इसे अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

iii. सभी जिला कृषि पदाधिकारी को विगत वर्षो में निर्मित पक्का/एच0डी0पी0ई0 वर्मी कम्पोस्ट इकाई की सं0, कार्यरत इकाई की सं0 एवं उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

iv. व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई द्वारा जिलावार उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीवान, वैशाली, दरभंगा, बेगुसराय, लखीसराय एवं शेखपुरा जिला से अप्राप्त है। इसे अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, ताकि जिलों में उपलब्ध वर्मी कम्पोस्ट का आकलन कर इसे खरीफ, 2015 में उपयोग करने हेतु योजना तैयार किया जा सके।

v. वर्मी कम्पोस्ट के विनिर्माता जिन्हें विपणन हेतु प्राधिकृत पत्र प्राप्त है उन्हें प्रमंडल/जिला स्तर पर अपना थोक विक्रेता बहाल करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

vi. सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना अन्तर्गत एक नया "कार्यक्रम जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण" पटना, नालन्दा, गया, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगुसराय जिला में प्रारम्भ किया जा रहा है।

7. **बामेती :–**

i. सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 01.04.2014 को अंकेक्षण के बाद अवशेष राशि की सूचना दिनांक 30.04.2015 तक बामेती को उपलब्ध करा दी जाय ताकि खरीफ अभियान, 2015 हेतु राशि की व्यवस्था की जा सके।

ii. प्रत्येक योजना का जिला में सोसाइटी के स्तर पर एक बैंक खाता रखने का निदेश दिया गया।

iii. दिनांक 01.04.2015 को रा0कृ0वि0यो0 एवं रा0खा0सु0मि0 अन्तर्गत अवशेष राशि की सूचना संबंधित कोषांग को दिनांक 30.04.2015 तक उपलब्ध कराने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।